

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बहराइच।
नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बहराइच के परिसर में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष के सामने गिरे यूकेलिप्टस के पेड़ की नीलामी किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह नीलामी कोविड-19 के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय तथा राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश के अधीन दिनांक 11.08.2021 को जनपद न्यायालय, बहराइच के मीटिंग हाल में समय सांय 4.00 बजे सम्पन्न की जायेगी।

नियम व शर्तें:-

- 1- नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि रू0 15,100/- होगी।
- 2- प्रत्येक बोलीदाता को नजारत अनुभाग में बोली के दिनांक 10.08.2021 को समय अपरान्ह 2.00 बजे तक रू0 2000/- की धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।
- 3- उच्चतम बोलीदाता की बोली अनुमोदित किये जाने के पश्चात उच्चतम बोलीदाता को धरोहर की धनराशि समायोजित करते हुये, बोली की सम्पूर्ण धनराशि मय अनुमन्य कर (यदि कोई हो) तत्काल जमा करना होगा। शेष बोलीदाता की धरोहर धनराशि एक माह उपरान्त अथवा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार वापस की जायेगी।
- 4- जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जायेगी, उसे उपर्युक्त पेड़ एक सप्ताह के अन्दर उठा लेना होगा।
- 5- इच्छुक व्यक्ति पेड़ का निरीक्षण दिनांक 03.08.2021 से 10.08.2021 तक समय 12.30 बजे से 4.00 बजे के अन्दर, केन्द्रीय नाजिर से मिलकर कर सकते हैं।
- 6- अधोहस्ताक्षरीगण को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकृति के अधीन होगी।
- 7- नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद बहराइच का होगा।
- 8- नीलामी के ठीक पूर्व अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा अन्य नियम व शर्तों यदि कोई हो, की जानकारी दी जायेगी।

(मनोज कुमार मिश्र)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0, बहराइच।
दिनांक-03.08.2021

1. प्रतिलिपि सार्वजनिक सूचना हेतु निम्नलिखित के नोटस बोर्ड पर चस्पा की जाए:
माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सादर प्रेषित।
2. कार्यालय जिला जज, बहराइच।
 3. कार्यालय जिलाधिकारी, बहराइच।
 4. कार्यालय नगर पालिका परिषद, बहराइच।
 5. कार्यालय जिला परिषद, बहराइच।
 6. कार्यालय लोक निर्माण विभाग, बहराइच।
 7. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
 8. अध्यक्ष/महामंत्री, जिला अधिवक्ता संघ, बहराइच।
 9. नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, बहराइच।
 10. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स को वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
 11. रेलवे स्टेशन नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
 12. बस स्टेशन नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
 13. स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु जिला सूचना अधिकारी, बहराइच को प्रेषित।

(मनोज कुमार मिश्र)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0, बहराइच।
दिनांक-03.08.2021